[illegible]	[illegible]	[illegible] में जारी हुए
[illegible]-06-2018	पुष्पेन्द्र द्वारा अ.धा. 111-128 RERA व उनवान हीरालाल बनाम गंगाराम का अधिवक्ता की 3.10. बिलु द्वारा पेश किया गया जो बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त भूमि मौजा ग्राम धर्मदास की या खेड़ा प.म. कुलपहिया तह. बेगू खाता नं. 58 में अंकित आराजी नं. 6/89 कुल बिस्वा-1 कुल रकबा 1.6190 है० भूमि की प्रत्यक्षगढ़ी उपखण्ड अधिकारी की उपस्थिति में किये जाने हेतु तहसीलदार बेगू को इस्तगासा शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।

अतः तहसीलदार बेगू को प्रत्यक्षगढ़ी कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु पत्रावली दिनांक 19-06-2018 को पेश हो। | |
| 19/06/2018 | पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली [illegible] हेतु आज [illegible] सरकारी अभि. श्री [illegible] अधि. बेगू द्वारा रिपोर्ट की गयी है कि [illegible] का मौके पर कब्जा नहीं लेकर [illegible] होने से प्रत्यक्षगढ़ी की कार्यवाही संभव नहीं है, अतः पत्रावली [illegible] कमिश्नर बेगू से कब्जा लेकर दाखिल दफ्तर हो। | 19/6/18 1.00 पेशी |

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)